

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S./

राजस्व वाद संख्या: 2017/161

दायर दिनांक 12.06.2017

वदी	प्रतिवादीगण
1. करणसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी मामडोदा तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।	1. रिछपालसिंह पुत्र हनुमानसिंह 2. गजेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह 3. सतपालसिंह पुत्र हनुमानसिंह 4. दातारसिंह पुत्र हनुमानसिंह 5. देवीसिंह पुत्र हनुमानसिंह 6. नवरंग सिंह पुत्र हनुमानसिंह 7. भंवरसिंह पुत्र उजीणसिंह 8. हिम्मतसिंह पुत्र उजीणसिंह 9. विनोद कंवर पुत्री उजीणसिंह 10. राजू कंवर पुत्री उजीणसिंह 11. गंगासिंह पुत्र मनोहरसिंह 12. नवनत्नसिंह पुत्र मनोहरसिंह 13. सरोज कंवर पत्नी मनोहरसिंह 14. धनुकंवर पुत्री मनोहरसिंह 15. सुगनसिंह पुत्र पहाडसिंह 16. पृथ्वीसिंह पुत्र पहाडसिंह 17. बहादुरसिंह पुत्र पहाडसिंह 18. दोलतसिंह पुत्र पहाडसिंह 19. सीमा कंवर पत्नी पहाडसिंह 20. भंवरकंवर पुत्री पहाडसिंह 21. केशरसिंह पुत्र नारायणसिंह 22. सरदारसिंह पुत्र नारायणसिंह 23. गोविन्दसिंह पुत्र मेघसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी मामडोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 24. तहसीलदार, डीडवाना

बनाम्

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :- पक्षकारान

--: निर्णय :-

दिनांक 16.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के हैं जिनकी वंशावली वाद के साथ पेश है। वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 23 न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मामडौदा में उपस्थित

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-2017/161  
 चायर दिनांक 12.06.2017 निर्णय दिनांक 16.06.2017  
 करणसिंह बनाम रिष्पालसिंह वगैरा।

हुए। सभी पक्षकार ने वाद के फिकरा सं० 03 के अनुसार बंटवारा करने का निवेदन किया जो इस प्रकार है:-

प्रतिवादी सं० 23 गोविन्दसिंह के बंट की भूमि:- वाके सरहद मामडोदा के खसरा सं० 40/259 रकबा 15.12 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 359/109 रकबा 2.10 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 360/109 रकबा 6 बीघा में से 4 बिस्वा पश्चिमी, खसरा सं० 109 रकबा 18.13 बीघा में से 1 बीघा 05 बिस्वा उत्तरी हिस्सा कुल 3 बीघा 19 बिस्वा तथा खेत खसरा सं० 233/283 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा में से उत्तरी 01 बीघा 16 बिस्वा,, खसरा सं० 38/258 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण कुल 22 बीघा 12 बिस्वा।

वादी करणसिंह के बंट की भूमि :- वाके सरहद मामडोदा के खसरा सं० 52 रकबा 17.13 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 109 रकबा 18.13 बीघा में से 17.08 बीघा दक्षिणी, खसरा सं० 233/283 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा में से 1 बीघा 16 बिस्वा बीच का कुल 36 बीघा 17 बिस्वा।

प्रतिवादी सं० 21 व 22 केसरसिंह व सरदारसिंह का बंट:- वाके सरहद मामडोदा के खसरा सं० 85 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 360/109 रकबा 06 बीघा में से 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं० 233/283 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा में से दक्षिणी 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 24 बीघा 07 बिस्वा।


प्रतिवादी सं० 15, 16, 17 सुगनसिंह, पृथ्वीसिंह, बहादुर सिंह का बंट :- खसरा सं० 40 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण।

प्रतिवादी सं० 17, 18 बहादुरसिंह व दौलतसिंह का बंट :- खसरा सं० 39 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा सम्पूर्ण।

प्रतिवादी सं० 15 ता 18 सुगनसिंह, पृथ्वीसिंह, बहादुरसिंह व दौलतसिंह का बंट :- खसरा सं० 38 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 233 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा में से पूर्वी भाग 2 बीघा 19 बिस्वा कुल 4 बीघा 05 बिस्वा।

प्रतिवादी सं० 7, 8, 11, 12 भंवरसिंह, हिम्मतसिंह, गंगासिंह व नवरत्न सिंह के बंट की भूमि :- खसरा सं० 233 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा में से बीच का 2 बीघा 19 बिस्वा।

प्रतिवादी सं० 7 भंवरसिंह का बंट :- खसरा सं० 77 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा में से 9 बीघा 07 बिस्वा।

  
 सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-2017/161  
 दायर दिनांक 12.06.2017 निर्णय दिनांक 16.06.2017  
 करणसिंह बनाम रिछपालसिंह वगैरा।

प्रतिवादी सं० 8, 11, 12 हिम्मतसिंह, गंगासिंह व नवरत्न सिंह का बंट :- खसरा सं० 77 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा में से बीघा का 9 बीघा 08 बिस्वा, प्रतिवादी गंगासिंह व नवरत्नसिंह के बंट के खेत खसरा सं० 77 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा में से पश्चिमी 9 बीघा 07 बिस्वा।


प्रतिवादी सं० 1 ता 6 रिछपालसिंह, गजेन्द्रसिंह, सतपालसिंह, दातारसिंह, देवीसहि, नवरंगसिंह का बंट :- खसरा सं० 233 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा में से 2 बीघा 19 बिस्वा।

प्रतिवादी दौलतसिंह का बंट :- खसरा सं० 85/265 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण।

प्रकरण आज न्याय आपके द्वार कैम्प मामडोदा में पेश हुआ। समस्त पक्षकारान उपस्थित। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। समस्त पक्षकारान वादी के वाद अनुसार डिक्री किये जाने पर सहमत है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मजमें आम में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

### आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद मामडोदा वादी करणसिंह के बंट की भूमि :- वाके सरहद मामडोदा के खसरा सं० 52 रकबा 17.13 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 109 रकबा 18.13 बीघा में से 17.08 बीघा दक्षिणी, खसरा सं० 233/283 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा में से 1 बीघा 16 बिस्वा बीच का कुल 36 बीघा 17 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 23 गोविन्दसिंह के बंट की भूमि:- वाके सरहद मामडोदा के खसरा सं० 40/259 रकबा 15.12 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 359/109 रकबा 2.10 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 360/109 रकबा 6 बीघा में से 4 बिस्वा पश्चिमी, खसरा सं० 109 रकबा 18.13 बीघा में से 1 बीघा 05 बिस्वा उत्तरी हिस्सा कुल 3 बीघा 19 बिस्वा तथा खेत खसरा सं० 233/283 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा में से उत्तरी 01 बीघा 16 बिस्वा., खसरा सं० 38/258 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण कुल 22 बीघा 12 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 21 व 22 केसरसिंह व सरदारसिंह का बंट:- वाके सरहद मामडोदा के खसरा सं० 85 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 360/109 रकबा 06 बीघा में से 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं० 233/283 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा में से

  
 प्रमुख कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-2017/161  
 दायर दिनांक 12.06.2017 निर्णय दिनांक 16.06.2017  
 करणसिंह बनाम रिछपालसिंह वगैरा।

दक्षिणी 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 24 बीघा 07 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 15, 16, 17 सुगनसिंह, पृथ्वीसिंह, बहादुर सिंह का बंट :- खसरा सं० 40 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण। प्रतिवादी सं० 17, 18 बहादुरसिंह व दौलतसिंह का बंट :- खसरा सं० 39 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा सम्पूर्ण। प्रतिवादी सं० 15 ता 18 सुगनसिंह, पृथ्वीसिंह, बहादुरसिंह व दौलतसिंह का बंट :- खसरा सं० 38 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 233 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा में से पूर्वी भाग 2 बीघा 19 बिस्वा कुल 4 बीघा 05 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 7, 8, 11, 12 भंवरसिंह, हिम्मतसिंह, गंगासिंह व नवरत्न सिंह के बंट की भूमि :- खसरा सं० 233 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा में से बीच का 2 बीघा 19 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 7 भंवरसिंह का बंट :- खसरा सं० 77 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा में से 9 बीघा 07 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 8, 11, 12 हिम्मतसिंह, गंगासिंह व नवरत्न सिंह का बंट :- खसरा सं० 77 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा में से बीच का 9 बीघा 08 बिस्वा, प्रतिवादी गंगासिंह व नवरत्नसिंह के बंट के खेत खसरा सं० 77 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा में से पश्चिमी 9 बीघा 07 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 1 ता 6 रिछपालसिंह, गजेन्द्रसिंह, सतपालसिंह, दातारसिंह, देवीसहि, नवरंगसिंह का बंट :- खसरा सं० 233 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा में से 2 बीघा 19 बिस्वा। प्रतिवादी दौलतसिंह का बंट :- खसरा सं० 85/265 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण का उपरोक्तानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)  
 सहायक कलेक्टर  
 R.A.S.  
 डी.डी.ओ. (न्याय)  
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 16.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प मामडोदा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)  
 सहायक कलेक्टर  
 डी.डी.ओ. (न्याय)  
 डीडवाना

खिगरी बमुकदमें इत्तदाई  
(आर्डर 20 रूल 6, 7 जाबा दीवानी)  
अज अदालत- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बड्डलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व कांड क्रमांक: 2017/151

घात दिनांक 12.06.2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. करणसिंह पुत्र मेघासिंह जाति राजपूत निवासी नामखोदा तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।		1. रिछपालसिंह पुत्र हनुमानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी भागखोदा तहसील डीडवाना जिला नगौर राजा

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53, 58, 188 R.T.Act.

दिनांक 16.06.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्टई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान की ओर से नददावतह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा खिगरी सादिर कर, वाके सरहद मामखोदा वादी करणसिंह के बंट की भूमि :- वाके सरहद मामखोदा के खसरा सं० 52 रकबा 17.13 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 109 रकबा 18.13 बीघा में से 17.08 बीघा दक्षिणी, खसरा सं० 233/283 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा में से 1 बीघा 16 बिस्वा बीच का कुल 36 बीघा 17 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 23 गोविन्दसिंह के बंट की भूमि:- वाके सरहद मामखोदा के खसरा सं० 40/259 रकबा 15.12 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 359/109 रकबा 2.10 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं० 360/109 रकबा 6 बीघा में से 4 बिस्वा पश्चिमी, खसरा सं० 109 रकबा 18.13 बीघा में से 1 बीघा 05 बिस्वा उत्तरी हिस्सा कुल 3 बीघा 19 बिस्वा तथा खेत खसरा सं० 233/283 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा में से 1 बीघा उत्तरी 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं० 38/258 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण कुल 22 बीघा 12 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 21 व 22 कंसरसिंह व सरदारसिंह का बंट:- वाके सरहद मामखोदा के खसरा सं० 85 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 360/109 रकबा 06 बीघा में से 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं० 233/283 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा में से दक्षिणी 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 24 बीघा 07 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 15, 16, 17 सुगनसिंह, पृथ्वीसिंह, बहादुर सिंह का बंट :- खसरा सं० 40 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण। प्रतिवादी सं० 17, 18 बहादुरसिंह व दौलतसिंह का बंट :- खसरा सं० 39 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा सम्पूर्ण। प्रतिवादी सं० 15 ता 18 सुगनसिंह, पृथ्वीसिंह, बहादुरसिंह व दौलतसिंह का बंट :- खसरा सं० 38 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं० 233 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा में से पूर्वी भाग 2 बीघा 19 बिस्वा कुल 4 बीघा 05 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 7, 8, 11, 12 भंवरसिंह, हिम्मतसिंह, गंगासिंह व नवरत्न सिंह के बंट की भूमि :- खसरा सं० 233 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा में से बीच का 2 बीघा 19 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 7 भंवरसिंह का बंट :- खसरा सं० 77 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा में से बीच का 2 बीघा 19 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 8, 11, 12 हिम्मतसिंह, गंगासिंह व नवरत्न सिंह का बंट :- खसरा सं० 77 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा में से बीच का 9 बीघा 08 बिस्वा, प्रतिवादी गंगासिंह व नवरत्नसिंह के बंट के खेत खसरा सं० 77 रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा में से पश्चिमी 9 बीघा 07 बिस्वा। प्रतिवादी सं० 1 ता 6 रिछपालसिंह, गजेन्द्रसिंह, सतपालसिंह, दातारसिंह, देवीसहि, नवरंगसिंह का बंट :- खसरा सं० 233 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा में से 2 बीघा 19 बिस्वा। प्रतिवादी दौलतसिंह का बंट :- खसरा सं० 85/265 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण का उपरोक्तानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नोज..... मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमें के म्य सूद व शरह..... आज की तारीख को अदा करें। बसबा मेरे दस्ताख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2017 कैम्प कोर्ट मामखोदा में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (जिला नगौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-		महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुत्तफरिक		
हुक्मनामा					
मुत्तफरिक					
मिजान			मिजान		

नोट-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (जिला नगौर)